



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18022026-270252
CG-DL-W-18022026-270252

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5]	नई दिल्ली, फरवरी 8—फरवरी 14, 2026, शनिवार/माघ 19—माघ 25, 1947
No. 5]	NEW DELHI, FEBRUARY 8—FEBRUARY 14, 2026, SATURDAY/MAGHA 19—MAGHA 25, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 15.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र) समूह “क” पद भर्ती नियम, 2010, को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र), समूह “क” पद, भर्ती नियम, 2026 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है; विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र)	01 *(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13 (रु.123100-215900)	चयन पद

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेदन द्वारा/तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा;	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (रु. 78800-209200) में स्तर-12 में सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र), के ग्रेड में जिसने पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा आयोजित प्रासंगिक क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है।

	टिप्पण : जहां कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, से अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से कम न हों और अपने ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी,- (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रूपये 78800 - 209200) में स्तर -12 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की है; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:- अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या अनुप्रयुक्त भूगोल या भूसूचना या सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) और भौगोलिक सूचना प्रणाली में स्नातकोत्तर की उपाधि। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त या सांविधिक निकाय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से भौगोलिक सूचना प्रणाली या सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) या भूगोल या नक्शानवीसी के क्षेत्र में अनुसंधान में बारह वर्ष का अनुभव। वांछनीय: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि। टिप्पण 1- फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जिनकी प्रोन्नति आसन्न है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त कर्मचारी प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (अल्पावधि संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 - प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित शामिल है:- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) भारत के महारजिस्ट्रार - सदस्य; (3) संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय या अपर महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए-51011/1/2024-प्रशा. V]

एस.एन. शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office Of The Registrar General, India)

New Delhi, the 2nd February, 2026

G.S.R. 15.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India, Deputy Registrar General (Map) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Registrar General (Map) in the Office of the Registrar General, India, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India, Deputy Registrar General (Map), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Registrar General (Map).	01* (2026). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 13 in the pay matrix (Rs. 123100 - 215900).	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion, failing which deputation (including short-term contract).	Promotion : Assistant Registrar General (Map) in level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) with five years regular service in the grade and have successfully completed the training of two to four weeks in the relevant field organised by the Office of the registrar General, India. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or statutory bodies or autonomous organisations or recognised universities or recognised research institutions or public sector undertakings : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

	Essential: (i) Master's Degree in Geography or Applied Geography or Geoinformatics or Remote Sensing and Geographic Information System from a recognised university or institution. (ii) Twelve years' experience in Geographic Information System or Remote Sensing or Research in the field of Geography or Cartography from the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies or recognised universities or recognised research institutions. Desirable: (i) Doctorate degree in Geography from a recognised university. Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including (including short-term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman ; (2) Registrar General, India -Member; (3) Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs or Additional Registrar General, Office of the Registrar General India -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A51011/1/2024-Ad.V]

S N SHARMA, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 16.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल, नई दिल्ली में बायोमेडिकल इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल, नई दिल्ली, बायोमेडिकल इंजीनियर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बायोमेडिकल इंजीनियर।	*01 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)।	लागू नहीं होता।	18-30 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री। टिप्पण 1: अर्हताएँ सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अन्यथा शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण : केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह का प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पदों पर पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल है: 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ - अध्यक्ष; 2. अस्पताल या चिकित्सा अधीक्षक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारी ही आमेसन के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारणीय पत्र होंगे।	3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र अस्पताल का काम देख रहे उप निदेशक (प्रशासन) - सदस्य।	
---	---	--

[फा. सं. ए -12015/06/2025 एच-II]

अनुराग तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st January, 2026

G.S.R. 16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Biomedical Engineer, in the Rural Health Training Centre Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely;—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Rural Health Training Centre Hospital, New Delhi, Biomedical Engineer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Biomedical Engineer.	01*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18-30 years. (Relaxable for the Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Bachelor's Degree in Biomedical Engineering from a recognised University or institute. Note 1.- The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note.- There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By deputation (including short-term contract)/ absorption, failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,-	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Rural Health Training Centre, Najafgarh -Chairperson; 2. Hospital or Medical Superintendent, Rural Health	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-6 in the pay matrix (35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). Note 1.- The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3.- Only the officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration shall be eligible for consideration for appointment on absorption.	Training Centre Hospital – Member; 3. Deputy Director (Administration), looking after the work of Rural Health Training Centre Hospital in Directorate General of Health Services – Member.	
---	---	--

[F. No. A.12015/06/2025-H-II]

ANURAG TIWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध "क्षेत्र कार्यकर्ता" के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, में क्षेत्र कार्यकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, क्षेत्र कार्यकर्ता (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-

उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति -

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति-इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
क्षेत्र कार्यकर्ता	6* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये)।

चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।
(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन.	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ स्वास्थ्य संवर्धन और शिक्षा में डिप्लोमा टिप्पण1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। टिप्पण2: अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उन	लागू नहीं होता।

	जिला और चंबा जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण : ऐसे पदजिस पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, के संबंध में आयु सीमा निर्धारित करने हेतु निर्णायक तारीख वह आखरी तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	
--	---	--	--

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष। टिप्पण : परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	50% सीधी भर्ती द्वारा। प्रोन्नति द्वारा, पचास प्रतिशत जिसके विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : सहायक क्षेत्र कार्यकर्ता जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 में नियमित आधार पर उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति: 1. अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष; 2. निदेशक द्वारा नामित समूह 'क' का ज्येष्ठ अधिकारी, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

3. संपृक्त विभागाध्यक्ष	- सदस्य;	
4. प्रशासनिक अधिकारी	- सदस्या	

[फा. सं. A.60011/08/2018-ME(Pt.)]

पंकज कुमार, उप निदेशक चिकित्सा शिक्षा अनुभाग

New Delhi, the 3rd February, 2026

G.S.R. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group 'C') Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of **Field Worker**, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Field Worker in the All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, Field Worker (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

2. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of the said post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications, and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other Backward Classes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Field Worker	6* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100).

Whether selection post or a non-selection post.	Age - limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Non-Selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the	1. Bachelors' Degree from a recognised University with Diploma in Health Promotion and Education	Not applicable.

	instructions or orders issued by the Central Government. Note 1: The crucial date for determining the age - limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In respect of post, the appointment to which is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
--	---	---	--

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption, and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks' duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	50% by direct recruitment. 50% by promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion: Assistant Field Worker in Level-2 in the pay matrix with 'eight years' regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) Consisting of: - 1. Additional Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata -Chairperson; 2. One Senior Group 'A' officer to be nominated by the Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Member; 3. Head of the Concerned Department -Member; 4. Administrative Officer - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1) Additional Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Chairperson; (2) One Senior Group 'A' officer to be nominated by the Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Member; (3) Head of the Concerned Department - Member; (4) Administrative Officer - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.60011/08/2018-ME(Pt.)]

PANKAJ KUMAR, Dy. Director Medical Education Section

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 18.—केंद्रीय सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान के सेवा (आईआईपी) उपनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पैकेजिंग संस्थान में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों को भारतीय पैकेजिंग संस्थान (निदेशक, आईआईपी) भर्ती नियम, 2026 कहा जाएगा। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतनमान** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं एवं उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।
- पद पर नियुक्ति की स्वीकृति**— इन नियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
- निरर्हताएं**—कोई व्यक्ति नहीं

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां इसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्र.सं.	विवरण	भर्ती नियम
1.	पद का नाम	निदेशक
2.	पदों की संख्या	01
3.	वर्गीकरण	समूह क (गैर-मंत्रालयी)
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर 14 (144200 – 218200 रुपये)
5.	चाहे वह चयन पद हो या गैर-चयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	अधिकतम 50 वर्ष (एससी/एसटी श्रेणी के मामले में 5 वर्ष और ओबीसी श्रेणी के मामले में 3 वर्ष तक छूट)। विभागीय उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: नीचे दिए गए नोट के अनुसार पैकेजिंग और संबद्ध क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों के अनुभव के साथ पैकेजिंग संबंधित विषय में पीएचडी। या नीचे दिए गए नोट के अनुसार इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/पैकेजिंग क्षेत्र में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ कम से कम 20 वर्षों का अनुभव। नोट: पैकेजिंग से संबंधित विषयों को पढ़ाने/ पैकेजिंग/संबद्ध क्षेत्र/पैकेज उपयोगकर्ता उद्योग/पैकेजिंग विकास, अनुसंधान, मानकीकरण आदि से संबंधित संगठनों में काम करने के अनुभव की गणना की जाएगी। वांछित :

		क. सरकारी/स्वायत्त संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध सरकारी/शैक्षणिक संस्थानों में जिम्मेदार पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। ख. उम्मीदवार का शोध कार्य प्रमुख पत्रिकाओं/प्रकाशनों में प्रकाशित होना चाहिए।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी?	हाँ
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	एक वर्ष
10.	भर्ती के नियम, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति समायोजन / द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती न होने पर प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय/राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों आदि में केवल सेवारत अधिकारियों से ही भर्ती की जाएगी; यदि वह भी विफल रहती है तो पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाएगी।
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन किया गया था।	पदोन्नति: प्रोफेसर/अपर निदेशक (13क) में से जिन्होंने इस ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो तथा प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ रखते हों। प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिकारी: (क) (i) नियमित आधार पर समान पद पर हो; या (ii) स्तर 13-क में 2 वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद पर काम कर रहे हों; या (iii) स्तर 13 में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद पर हों (ख) (i) अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पैकेजिंग विषय में पीएचडी या इसके समकक्ष डिग्री और पैकेजिंग से संबंधित क्षेत्रों में 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। (ii) पैकेजिंग विषय में प्रौद्योगिकी, विज्ञान या अनुप्रयुक्त विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और पैकेजिंग से संबंधित शिक्षण में 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वांछनीय: (1) केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ विश्वविद्यालयों में उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। 2) प्रतिष्ठित संगठन में पैकेजिंग और संबंधित क्षेत्रों में प्रकाशित शोध पत्र। नोट 1: पैकेजिंग उद्योग और उससे संबंधित क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण और प्रशिक्षण अनुभव ही मान्य होगा। (इस नियुक्ति से ठीक पहले केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों के किसी अन्य संगठन/विभाग में किसी अन्य गैर-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक हो। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 50 वर्ष से अधिक ना हो।) नोट 2: पदोन्नति या अन्य तरीके से नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवार का

		मूल्यांकन प्रशिक्षण/परीक्षण/अनुसंधान और निर्धारित विषय पर प्रस्तुति कौशल के आधार पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा, साथ ही उम्मीदवार द्वारा बाद में दिए गए प्रश्नों और उत्तरों के प्रबंधन के कौशल के आधार पर पदोन्नति और चयन सूची में शामिल करने या नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने हेतु अन्य तरीकों के लिए आगे के मूल्यांकन हेतु किया जाएगा। पात्र उम्मीदवार को आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने हेतु सामान्य उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50% अंक और आरक्षित श्रेणियों के लिए 45% अंक तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, जो पद की कार्यात्मक आवश्यकताओं पर आधारित है। नोट 3: केवल उन्हीं उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा जिन्हें समिति द्वारा योग्य घोषित किया गया है, उनका मूल्यांकन उनके निष्पादन या एपीएआर/सीआर के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि सरकारी दिशानिर्देश के अनुसार निर्धारित बेंचमार्क के अनुसार आरक्षण के अधीन है, ताकि उन्हें पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल किया जा सके या नियुक्ति अधिकारी की मंजूरी के बाद नियुक्ति के लिए सिफारिश की जा सके। नोट 4: पदोन्नति और अन्य कार्यों के लिए अनुमोदित चयन सूची वेबसाइट पर रखी जाएगी।
12.	चयन समिति की संरचना और चयन प्रक्रिया क्या है?	1. आईआईपी शासी निकाय द्वारा नियुक्त - अध्यक्ष 2. केंद्र सरकार से प्रशासनिक अपर सचिव - सदस्य 3. आईआईपी शासी निकाय के दो सदस्यों को सदस्य के रूप में नामित। 4. किसी प्रतिष्ठित प्रबंधनतकनीकी संस्थान से आईआईपी शासी / निकाय द्वारा सदस्य के रूप में नामित। प्रक्रिया: (i) इस पद के लिए अखिल भारतीय स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी शामिल है। विज्ञापन की एक प्रति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, और आईआईपी की वेबसाइट पर और आईआईपी के नोटिस बोर्ड पर भी प्रमुखता से अपलोड की जा सकती है। (ii) चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा और योग्यता क्रम के अनुसार तीन नामों का एक पैनल डीओसी (वाणिज्य एवं अद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) को प्रस्तुत किया जाएगा। (iii) पैनल में से किसी एक की नियुक्ति करने के लिए सीआईएम/एमओसी की स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है	लागू नहीं

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. के-45022/13/2025-टीपी-डीओसी]

आभा बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

New Delhi, the 29th January, 2026

G.S.R. 18.—In exercise of the powers conferred by Service Bye-Laws of Indian Institute of Packaging (IIP), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Indian Institute of Packaging, namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Indian Institute of Packaging (Director, IIP) Recruitment Rules, 2026.(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix** - The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Approval of appointment to the post** - No appointment shall be made without obtaining prior approval of the Central Government under these rules.

5. **Disqualifications- No Person**

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, had entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sr.	Particulars	Recruitment Rules
1.	Name of Post	Director
2.	Number of Post	1
3.	Classification	Group A (Non-Ministerial)
4.	Level in Pay Matrix	Level 14 (Rs. 144200 – 218200)
5.	Whether Selection Post or Non Selection Post	Selection
6.	Age Limit for Direct Recruits	Maximum 50 years (relaxable by 5 years in the case of SC/ST category and 3 years in the case of OBC category). Age limit relaxable by 5 years for departmental candidates.
7.	Educational and Other Qualifications required for Direct Recruits	Essential: Ph.D in subject of relevance to packaging with at least 15 years of experience in packaging and allied sector as per note below. Or Master's degree in Engineering/technology/packaging sector as per note below or equivalent with at least 20 years of experience.

		Note: Experience will be counted in teaching subjects related to packaging / working in packaging / allied sector/ package user industry / organisations dealing in packaging development, research, standardisation etc. Desirable: Minimum 5 Years of administrative experience in responsible position in Government / Autonomous organisation/PSU/Semi Government /Educational Institutions Candidate should have research work published in leading journals/publications.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Yes
9.	Period of Probation, if any.	One year
10.	Method of Recruitment, whether by Direct recruitment or by Promotion or by Deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Direct Recruitment failing which by Deputation/absorption will be made only from the serving officers, Central/State Government / PSU/Autonomous bodies under Central / Stat Government etc. failing which by Promotion Promotion: From amongst Professor/Additional Director (13A) with 2 years regular service in the Grade and possessing educational qualifications prescribed for deputation.
11.	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption was made	Deputation: Officers working in Central/State/Union Territories Government/Public Sector Undertakings/Universities: (A) (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) Holding posts in Level 13- A with 2 years regular service; or (iii) Holding posts in Level 13 with 3 years regular service (B) (i)Essential: Possessing Ph.D. in Packaging subject from a recognised University or its equivalent with 15 years Teaching Experience in areas relating to Packaging or (ii) Possessing Master's Degree in Technology or Science or Applied Science in Packaging subject with 20 years Teaching Experience relating to Packaging. Desirable: (1) 5 years administrative experience in responsible position in Central/State Government /Public Sector Undertaking/Universities.2) Published research paper in Packaging and associated areas in a reputed organisation. Note 1: Teaching experience and training experience in respect of Packing Industry and associated area at International or National level shall only count. (The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in some other organization/department in some other organisation/department of the Central/State Government or PSU or Universities shall ordinarily exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 50 years on the closing date of receipt of applications.) Note 2: The candidate eligible for consideration for appointment by promotion or other method shall be assessed for presentation skills on training / testing / research and the assigned subject by the Committee constituted and also for handling questions and answers subsequently given by the candidate for further assessment for promotion and other methods for inclusion in the Select List or approved for appointment. The candidate eligible is required to qualify with not less than 50% marks for General

		candidates and 45% for reserved categories to be considered against reserved vacancies and 40% for PwD candidates, based on functional requirements of the post. Note 3: Only those candidates who are declared qualified by the Committee shall be assessed on the basis of their performance or APAR/CRs as prescribed by Government guidelines for prescribed Benchmark subject to reservation for inclusion in the Select List for promotion or recommended for appointment subject to approval by the Appointing Authority. Note 4: The approved Select List for promotion and other shall be placed on website.
12.	What is its composition of selection committee and procedure of selection.	IIP Governing Body to nominate – Chairman Administrative Additional Secretary from Central Government – Member IIP Governing Body to nominate two members as Members Nominated by IIP Governing Body from a reputed Management / Technical Institute as member Procedure: (i) Advertisement for the post may be issued in Newspapers on all India basis including in the Employment News. Advertisement for the post may be issued in the Newspapers on all India basis and also in the Employment News. A copy of the advertisement may also be uploaded prominently in the website of DOPT, Commerce Ministry & IIP and also in the Notice Board of IIP. (ii) Selection Committee to interview short-listed candidates and provide a panel of three names in the order of merit to DOC; MOCI, Govt of India (iii) Approval of CIM/MOC may be sought to appoint one from among the panel
13.	Circumstances in which Union Public Commission to be consulted in making recruitment	Not Applicable

This issues with the approval of Competent Authority.

[F. No. K-45022/13/2025-TP-DoC]

ABHA BIST, Under Secy.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक इंजीनियर (सिविल) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में सहायक इंजीनियर (सिविल) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, सहायक इंजीनियर (सिविल) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2.पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर या वेतनमानवह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2)से स्तम्भ (4)में विनिर्दिष्ट हैं।

3.भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जोपूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5)से स्तम्भ (13)में विनिर्दिष्ट हैं।

4.निरर्हता: वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हैया विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हैया विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5.शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6.व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक इंजीनियर (सिविल)	2*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900- 142400/- रु.)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री। (ii) सिविल इंजीनियरिंग कार्य में 02 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए,संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

		टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती हैं:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण करते हों, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य के पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती के जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति: 1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय - अध्यक्ष; 2. सलाहकार (परिवहन संचार) या अधीक्षण इंजीनियर (सिविल), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय; - सदस्य; 3. निदेशक (प्रशासन) या उप सचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग; - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/3/2024-स्था. II]

पर्णा साहाना, अवर सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION**(North Eastern Council Secretariat, Shillong)**

New Delhi, the 6th February, 2026

G.S.R. 19.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the part of Assistant Engineer(Civil), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Engineer (Civil) in the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Assistant Engineer (Civil) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** – The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Engineer (Civil).	2*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not exceeding 30 Years (relaxable for government servants upto five yrs in accordance with instructions or orders issue by Central Government)	Essential: (i) Bachelors Degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute. (ii) Two years experience in civil engineering work.	Not applicable.

	Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
--	--	---	--

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in Level 6 (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee: 1. Secretary, North Eastern Council Secretariat ; -Chairman; 2. Advisor (Transport Communication) or Superintending Engineer (Civil), North Eastern Council Secretariat ; -Member; 3. Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council Secretariat, Shillong ; -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/3/2024-Estb.II]

PARNA SAHANA, Under Secy.

अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 20.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में सहायक (स्तर-4) के समूह 'ग', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सहायक भर्ती नियम, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
सहायक	512* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹ 25500- 81100)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7
18 से 28 वर्ष सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक छूट) नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि)। नोट-2: उन पदों के संबंध में, जिनके लिए नियुक्ति रोजगार कार्यालय(यों) के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम जमा करने के लिए कहा गया है।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम 60% अंकों या 10-बिंदु पैमाने पर 6.32 के सीजीपीए के साथ स्नातक, इस पूर्व-आवश्यक शर्त के साथ कि स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि के अंदर पूरा किया गया हो; और कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता। द्वि/एकीकृत उपाधि कार्यक्रमों के मामले में: क) यदि स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता का द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में अलग-अलग उल्लेख किया गया है, तो स्नातक स्तर के लिए सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता का निर्धारण के लिए विद्यमान कार्यविधि को अपनाया जाएगा; ख) यदि अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए लागू साझा सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता का ही द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में उल्लेख किया गया है, तो पूरे अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए लागू द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में उल्लेखित अंतिम सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता को अर्हता निर्धारित करने के लिए आधार माना जाएगा; ग) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्रों में कोई सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता निर्धारित नहीं करता है, तो पूरे अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए लागू अंतिम/समेकित अंक पत्र के अनुसार समग्र सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता को अर्हता निर्धारण का आधार माना जाएगा; घ) उपर्युक्त मानदंड समान रूप से लागू होंगे, बिना इस पर ध्यान दिए कि कोई विश्वविद्यालय/संस्था अपने द्वि/एकीकृत उपाधि प्रमाण-पत्र में स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता निकालने का सूत्र निर्धारित करता है या नहीं; ङ) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण-पत्र या समेकित अंक पत्र में सी.जी.पी.ए. और अंकों की प्रतिशतता दोनों का उल्लेख करता है, तो कम-से-कम एक मानदंड या तो सी.जी.पी.ए. या प्रतिशतता इसरो की पात्रता प्रतिमानकों के अनुरूप होना चाहिए; च) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण-पत्र या समेकित अंक पत्र में केवल सी.जी.पी.ए. का उल्लेख करता है, तो उल्लेखित सी.जी.पी.ए. इसरो के पात्रता मानदंड के अनुरूप ही होना चाहिए। पात्रता निर्धारित करने के लिए सी.जी.पी.ए. को अंकों की प्रतिशतता में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है, भले ही संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा कोई परिवर्तन सूत्र निर्धारित किया गया हो। आवश्यक परिवर्तन सहित यही मानदंड उन मामलों में भी लागू होता है, जहाँ उपाधि प्रमाण-पत्र/समेकित अंक-पत्र पर केवल अंकों की प्रतिशतता का उल्लेख किया गया है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति होने वालों पर लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ग', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं: 1 वरि. प्रधान / प्रधान, का. व सा. प्र. : अध्यक्ष 2 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 3 वरिष्ठ क्रय एवं भण्डार अधिकारी : सदस्य 4 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-1]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF SPACE/ INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 20.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Assistant (Level-4) in the Indian Space Research Organisation, namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Assistant Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Assistant	512* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-4 (Rs. 25500- 81100) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
18 to 28 Years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note-2: In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.	Graduation with minimum of 60% marks or CGPA of 6.32 on a 10-point scale as declared by a recognized University, with a pre-requisite condition that Graduation should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the University; and Proficiency in the use of Computers. In case of Dual/Integrated Degree programmes: - Where a CGPA/Percentage for Graduation and Post-Graduation is mentioned separately in the Dual/Integrated Degree Certificate existing procedure for reckoning CGPA/percentage of the graduation level shall be reckoned; - Where a common CGPA/ percentage applicable for the entire course of study is only mentioned in the Dual/Integrated Degree Certificate, final CGPA/ percentage as mentioned in the Dual/Integrated degree Certificate as applicable for the entire course of study, shall be reckoned for deciding the eligibility; - Where a University does not prescribe any CGPA/percentage in Dual/Integrated Degree certificates, the cumulative CGPA/percentage as per Final / Consolidated Mark Sheet, as applicable for the entire course of study, shall be reckoned for deciding the eligibility; - The above criteria will apply uniformly regardless of whether or not a University/Institution prescribes a formula to derive the CGPA/percentage for Graduation/ Post Graduation in its Dual / Integrated Degree certificate; - Where a University mentions both CGPA and percentage of marks in Degree Certificate or Consolidated Mark-sheet, then at least one criteria i.e., either CGPA or percentage of marks should meet ISRO's eligibility norms; - Where a University mentions only CGPA in degree Certificate or Consolidated Mark-sheet, then the CGPA so mentioned should necessarily meet ISRO's eligibility criteria. Conversion of CGPA into percentage of marks is not permitted to determine eligibility, regardless of whether any conversion formula is prescribed by the University/ Institution concerned. The same criteria apply mutatis mutandis in cases where only percentage of marks is mentioned in the Degree Certificate / Consolidated Mark-sheet.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'C', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of: 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt.Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 21.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ सहायक (स्तर-6) के समूह 'ख', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ सहायक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

या

- (ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
वरिष्ठ सहायक	457* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400- 112400)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
क) पदोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में सहायक, जिन्होंने उस पद में 5 साल की नियमित सेवा की	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), में शामिल हैं: 1 मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की	लागू नहीं

हो। नोट-1: स्तर-6 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा, स्तर-4 में नियमित आधार पर फीडर पद, यानी सहायक के पदधारियों पर इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से चार (4) वर्ष ही रहेगी। नोट-2: विज्ञापन सं. इसरो: आई.सी. आर.बी. :02(ए-जे.पी.ए.):2022 दिनांक 20.12.2022 के प्रति तैयार किए गए वर्तमान पैनल में चयनित सहायक चार (4) वर्षों में स्तर-6 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। नोट-3: जहां कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवाएं पूरी कर ली हैं, पदोन्नति के लिए विचारार्थ हैं, उनके वरिष्ठ भी अपने कनिष्ठों की भांति अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति हेतु विचारार्थ होंगे, बशर्ते वे आवश्यक अर्हता या पात्रता सेवा की आधे से अधिक अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुके हों तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त कर चुके हों। विगत मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है। ख) प्रतिनियुक्ति: (i) <u>अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के पदधारियों में से:</u> क) नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 पर नियमित आधार पर	अनुपस्थिति में) 2 वरि. प्रधान / प्रधान, : सदस्य का. व सा.प्र. 3 वरि. लेखा अधिकारी/अं.वि.स. : सदस्य 4 वरिष्ठ क्रय एवं भण्डार अधिकारी : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक) : सदस्य	
---	---	--

समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो। ii) <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के पदधारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच साल की नियमित सेवा की हो। a) नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। b) नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। c) नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted posts of Senior Assistant (Level-6), in the Indian Space Research Organisation, namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Assistant Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Assistant	457* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam by Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) By promotion: Assistant in Level-4 in the Pay Matrix, with 5 years' of regular service in the post. Note-1: The eligibility service for promotion to the post of Senior Assistant in Level-6 shall continue to be Four (4) years for persons holding the feeder post i.e. Assistant in Level-4 on regular basis on the date of notification of these rules. Note-2: Assistant selected in the current panel drawn against advt. No. ISRO:ICRB:02(A-JPA):2022 dated 20.12.2022 will be eligible for consideration for promotion to Senior Assistant (Level-6) in 4 years. Note-3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened. b) Deputation: (i) <u>From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u> a) holding the analogous post on regular basis; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix.	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head (A.S.) /Appointing Authority (in the absence of any one of the above) : Chair-person 2 Sr. Head/Head, P&GA : Member 3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 4 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

(ii) <u>Officials from Central Services under the Central Government:</u> (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix. d) Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 22.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में सहायक कार्यालय अधीक्षक (स्तर-7) के समूह 'ख', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सहायक कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;
या
(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
सहायक कार्यालय अधीक्षक	292* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹ 44900 - 142400)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
क) पदोन्नति द्वारा: वरिष्ठ सहायक (स्तर-6), जिन्होंने उस पद में 5 साल की नियमित सेवा की हो।	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), में शामिल हैं: 1 मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) / : अध्यक्ष प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की अनुपस्थिति में)	लागू नहीं

नोट-1: एक बार के छूट के रूप में, 5 साल की सेवाकालीन अवधि वाले मौजूदा वरिष्ठ सहायकों (स्तर-6) को तत्काल कार्यान्वयन के लिए लिखित परीक्षा के बिना सहायक कार्यालय अधीक्षक (स्तर-7) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, 01.07.2026 से समीक्षा के लिए पात्र कर्मचारियों के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ख) प्रतिनियुक्ति: (i) <u>अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) में पदधारियों में से:</u> क) नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो। ii) <u>केन्द्र सरकार के अधीन केन्द्रीय सेवाओं के समूह-ख के पदधारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच साल की नियमित सेवा की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।	<table><tr><td>2</td><td>वरि. प्रधान / प्रधान, का. व सा. प्र.</td><td>:</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>3</td><td>वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स.</td><td>:</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>4</td><td>वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी</td><td>:</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>5</td><td>अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)</td><td>:</td><td>सदस्य</td></tr></table>	2	वरि. प्रधान / प्रधान, का. व सा. प्र.	:	सदस्य	3	वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स.	:	सदस्य	4	वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी	:	सदस्य	5	अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	:	सदस्य
2	वरि. प्रधान / प्रधान, का. व सा. प्र.	:	सदस्य														
3	वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स.	:	सदस्य														
4	वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी	:	सदस्य														
5	अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	:	सदस्य														

[फा. सं. ए. 26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 22.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Assistant Office Superintendent (Level-7) in the Indian Space Research Organisation, namely :

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Assistant Office Superintendent Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Assistant Office Superintendent	292* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-7 (Rs. 44900 - 142400) in the Pay Matrix	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam by Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) By promotion Senior Assistants (Level-6) with 5 years' of regular service in the post. Note-1: As a onetime dispensation, existing Senior Assistants (Level-6) with 5 years' residency period will be considered for promotion to Assistant Office Superintendent (Level-7) without written test for immediate implementation. However, qualifying in Written Test is mandatory for those who are eligible for review from 01.07.2026 onwards. b) Deputation: (i) <u>From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u> a) holding the analogous post on regular basis; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix. (ii) <u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u> (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with five years of regular	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head (A.S.)/Appointing Authority (in the absence of any one of the above) : Chairperson 2 Sr. Head/Head, P&GA : Member 3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 4 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 5 Mandatory Representatives (SC/ST/Women/PWD/Minority) : Member	Not Applicable

service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 23.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कार्यालय अधीक्षक (स्तर-8) के समूह 'ख', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;
या
(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,
किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
कार्यालय अधीक्षक	248* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹ 47600 – 151100) (ii) कार्यालय अधीक्षक के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर स्तर-9 में गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड।	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
क) पदोन्नति द्वारा: सहायक कार्यालय अधीक्षकों (स्तर-7) ने उस पद में 5 साल की नियमित सेवा की हो।	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), में शामिल हैं: 1 मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की अनुपस्थिति में)	लागू नहीं

नोट-1: वे सहायक कार्यालय अधीक्षक (स्तर-7), जिन्हें लिखित परीक्षा से छूट दी गई थी, वरिष्ठ सहायक (स्तर-6) और सहायक कार्यालय अधीक्षक (स्तर-7) में न्यूनतम एक (1) वर्ष की सेवा के साथ 6 वर्ष की संयुक्त सेवाकालीन अवधि के साथ निर्धारित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर कार्यालय अधीक्षक (स्तर-8) के लिए विचार किया जाएगा। नोट-2: स्तर-9 में एनएफएसजी के साथ/बिना स्तर-8 में मौजूदा वरिष्ठ परियोजना सहायकों को स्तर-8 में कार्यालय अधीक्षक के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। वरिष्ठ परियोजना सहायक के रूप में प्रदान की गई सेवा को कार्यालय अधीक्षक के रूप में माना जाएगा और इस पुनः पदनाम के कारण कोई अतिरिक्त एनएफएसजी नहीं होगा। ख) प्रतिनियुक्ति: (i) <u>अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के पदधारियों में से:</u> क) नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो। ii) <u>केन्द्र सरकार के अधीन केन्द्रीय सेवाओं के समूह-ख के पदधारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच साल की नियमित सेवा की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन	2 वरि. प्रधान / प्रधान, का. व सा.प्र. ☐ सदस्य 3 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 4 वरिष्ठ क्रय एवं भण्डार अधिकारी : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	
--	--	--

समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।		
नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Gazetted post of Office Superintendent (Level-8), in the Indian Space Research Organisation, namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Office Superintendent Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Office Superintendent	248* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Gazetted)	(iii) Level-8 (Rs.47600– 151100) in the Pay Matrix. (iv) Non-Functional Selection Grade in Level-9 on completion of 4 years of regular service in the post of Office Superintendent.	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam by Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) By promotion: Assistant Office Superintendents (Level-7) with 5 years' of regular service in the post. Note-1: Those Assistant Office Superintendents (Level-7), who are/were exempted from written test, will be considered for Office Superintendent (Level-8), on completion of minimum One (1) year service, with combined residency period of 6 years' service in Senior Assistant (Level-6) and Assistant Office Superintendent (Level-7)	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Chief Controller/Controller/Director (A.S.)/Head (A.S.)/Appointing Authority (in the absence of any one of the above) : Chair-person 2 Sr. Head/Head, P&GA : Member 3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 4 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

duly qualifying the prescribed written test. Note-2: Existing Senior Project Assistants in Level-8 with/without NFSG in Level-9 will be re-designated as Office Superintendent in Level-8. The service rendered as Senior Project Assistant will be reckoned as Office Superintendent and there will not be any additional NFSG on account of this re-designation. b) Deputation: (i) <u>From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u> a) holding the analogous post on regular basis; or b) with five years' of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-7 in the pay matrix. (ii) <u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u> (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with five years' of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-7 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 24.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक (स्तर-4) के समूह 'ग' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** - ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति,
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

या

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,
किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

वशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति** - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक (जे.पी.ए.)	178* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (₹ 25500-81100)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 28 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट)। नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू के लद्दाख मंडल और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी उप-मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)। नोट-2: जिन पदों के संबंध में नियुक्ति, जो रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती हैं, उनके लिए आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि, प्रत्येक मामले में वह होगी, जिस तिथि तक रोजगार कार्यालय(यों) से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60% अंकों अथवा 10-प्वाइंट स्केल पर 6.32 के सी.जी.पी.ए. के साथ स्नातक, साथ ही इस पूर्व निर्धारित शर्त के साथ कि स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर पूर्ण किया गया हो; या मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक/सचिवालयीन कार्य में कम-से-कम 60% अंकों अथवा 10-प्वाइंट स्केल पर 6.32 के सी.जी.पी.ए. के साथ डिप्लोमा, साथ ही इस पूर्व निर्धारित शर्त के साथ कि डिप्लोमा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर पूर्ण किया गया हो तथा अभ्यर्थी के पास आशु-टंकक/ आशुलिपिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव हो; और अंग्रेजी आशुलिपि में 60 श.प्र.मि. की न्यूनतम गति और कम्प्यूटर के प्रयोग में प्रवीणता द्वि/समेकित डिग्री पाठ्यक्रम की स्थिति में: क) जहाँ स्नातक तथा परास्नातक का सी.जी.पी.ए./प्रतिशत, द्वि/समेकित डिग्री प्रमाण पत्र में अलग-अलग दिखाए गए हैं, स्नातक स्तर के सी.जी.पी.ए./प्रतिशत की गणना वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी; ख) जहाँ पूरे पाठ्यक्रम के लिए लागू एक समान सी.जी.पी.ए./प्रतिशत केवल द्वि/समेकित डिग्री प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है, वहाँ अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए लागू द्वि/समेकित उपाधि प्रमाण-पत्र में दर्शाया अंतिम सी.जी.पी.ए./ प्रतिशतता को ही पात्रता निर्धारण के लिए आधार माना जाएगा; ग) जहाँ विश्वविद्यालय अपने द्वि/समेकित उपाधि प्रमाण-पत्रों में सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता निर्धारित नहीं करता, वहाँ अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए लागू अंतिम/समेकित अंक-पत्र के अनुसार संपूर्ण सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता को ही पात्रता निर्धारण के लिए आधार माना जाएगा; घ) उपर्युक्त मानदंड समान रूप से लागू होगा, भले ही विश्वविद्यालय/संस्थान स्नातक/स्नात्कोत्तर के लिए अपने द्वि/समेकित उपाधि प्रमाण-पत्र में सी.जी.पी.ए./प्रतिशतता निकालने का कोई सूत्र निर्धारित करता है या नहीं; ङ) जहाँ विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण-पत्र या समेकित अंक-पत्र में सी.जी.पी.ए. और अंक दोनों का उल्लेख करता है, तो कम-से-कम एक मानदंड या तो सी.जी.पी.ए. या प्रतिशतता अं.वि./इसरो के पात्रता मानदंडों के अनुरूप हो; च) जहाँ विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण-पत्र या समेकित अंक-पत्र में केवल सी.जी.पी.ए. का उल्लेख करता है, तो इस प्रकार उल्लेखित सी.जी.पी.ए. आवश्यक रूप से इसरो के पात्रता मानदंड

	के अनुरूप हो। पात्रता निर्धारित करने के लिए सी.जी.पी.ए. का अंक प्रतिशत में रूपांतरित करने की अनुमति नहीं है, भले ही संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा रूपांतरण सूत्र दिया गया हो। यही मानदंड यथावश्यक परिवर्तन सहित उन मामलों में भी लागू होता है, जहाँ उपाधि प्रमाण-पत्र/ समेकित अंक-पत्र में केवल अंक प्रतिशत दर्शाया गया है।
--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं: 1 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं सा.प्र. : अध्यक्ष 2 व. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 24.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Junior Personal Assistant (Level-4) in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Junior Personal Assistant Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Junior Personal Assistant (JPA)	178* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
18 to 28 Years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or	Graduation with minimum of 60% marks or CGPA of 6.32 on a 10-point scale as declared by a recognized University, with a pre-requisite condition that Graduation should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the University; OR Diploma in Commercial/Secretarial Practice with Minimum of 60% marks or CGPA of 6.32 on a 10-point scale as declared by a recognized Board/University, with pre-requisite conditions that Diploma should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the University and candidate must possess

Lakshadweep). Note-2: In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.	One-year experience as Steno-Typist/Stenographer; AND A minimum speed of 60 w.p.m. in English Stenography and proficiency in the use of Computers. In case of Dual/Integrated Degree programmes: - Where a CGPA/Percentage for Graduation and Post-Graduation is mentioned separately in the Dual/Integrated Degree Certificate existing procedure for reckoning CGPA/percentage of the graduation level shall be reckoned; - Where a common CGPA/ percentage applicable for the entire course of study is only mentioned in the Dual/Integrated Degree Certificate, final CGPA/ percentage as mentioned in the Dual/Integrated degree Certificate as applicable for the entire course of study, shall be reckoned for deciding the eligibility; - Where a University does not prescribe any CGPA/percentage in Dual/Integrated Degree certificates, the cumulative CGPA/percentage as per Final / Consolidated Mark Sheet, as applicable for the entire course of study, shall be reckoned for deciding the eligibility; - The above criteria will apply uniformly regardless of whether or not a University/Institution prescribes a formula to derive the CGPA/percentage for Graduation/ Post Graduation in its Dual / Integrated Degree certificate; - Where a University mentions both CGPA and percentage of marks in Degree Certificate or Consolidated Mark-sheet, then at least one criteria i.e., either CGPA or percentage of marks should meet ISRO's eligibility norms; - Where a University mentions only CGPA in degree Certificate or Consolidated Mark-sheet, then the CGPA so mentioned should necessarily meet ISRO's eligibility criteria. Conversion of CGPA into percentage of marks is not permitted to determine eligibility, regardless of whether any conversion formula is prescribed by the University/ Institution concerned. The same criteria apply mutatis mutandis in cases where only percentage of marks is mentioned in the Degree Certificate / Consolidated Mark-sheet.
--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'C', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson	Not Applicable

	2	Sr. Accounts Officer/IFA	: Member	
	3	Sr. Purchase & Stores Officer	: Member	
	4	Mandatory Representatives (SC/ST/Women/PWD/ Minority)	: Member	

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 25.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैयक्तिक सहायक (स्तर-6) के समूह 'ख', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वैयक्तिक सहायक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. **अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
वैयक्तिक सहायक (पी.ए.)	119* * (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹ 35400- 112400)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
क) पदोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक, जिन्होंने उस पद में 5 साल की नियमित सेवा की हो। नोट-1: स्तर-6 में वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा, स्तर-4 में नियमित आधार पर फीडर पद, यानी कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पदधारियों पर इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर चार (4) वर्ष ही रहेगी। नोट-2: विज्ञापन सं. ISRO: ICRB : 02(A-JPA) : 2022 दिनांक	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), में शामिल हैं: - मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक/निदेशक (प्र.से.) / : अध्यक्ष प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की अनुपस्थिति में) - वरि. प्रधान / प्रधान, का. व सा.प्र. : सदस्य - वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य - वरिष्ठ क्रय एवं भण्डार अधिकारी : सदस्य - अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

20.12.2022 के प्रति तैयार किए गए वर्तमान पैनल में चयनित कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक चार (4) वर्षों में स्तर-6 में वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

नोट-3: जहाँ ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं, वहाँ उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हता या पात्रता सेवा की अविधि, ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा की आधी अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठों के साथ परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है। पिछले मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।

ख) प्रतिनियुक्ति:

(i) अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) में पदधारियों में से:

ख) नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या

ग) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।

ii) केन्द्र सरकार के अधीन केन्द्रीय सेवाओं के पदधारी:

क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या

ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच साल की नियमित सेवा की हो।

नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा।

नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 25.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Personal Assistant (Level-6) in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Personal Assistant Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Personal Assistant (PA)	119* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam By Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) By promotion: Junior Personal Assistants in Level-4 in the Pay Matrix, with 5 years' of regular service in the post. Note-1: The eligibility service for promotion to the post of Personal Assistant in Level-6 shall continue to be Four (4) years for persons holding the feeder post i.e., Junior Personal Assistant with Level-4 on regular basis on the date of notification of these rules. Note-2: Junior Personal Assistant selected in the current panel drawn against Advt. No.ISRO:ICRB:02 (A-JPA):2022 dated 20.12.2022 will be eligible for promotion to Personal Assistant in Level-6 in four (4) years.	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Chief Controller / : Chair-Controller / Director(A.S.) / person Head(A.S.) / Appointing Authority(in the absence of any one of the above) 2 Sr. Head/Head, P&GA : Member 3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 4 Sr. Purchase & Stores : Member Officer 5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

Note-3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened. b) Deputation: (i) <u>From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u> a) holding the analogous post on regular basis; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix ii) <u>Officials from Central Services under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 26.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैयक्तिक सचिव (स्तर-8) के समूह 'ख', राजपत्रित पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और प्रारंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वैयक्तिक सचिव भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, आदि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अर्हता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
वैयक्तिक सचिव (पी.एस.)	94* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (राजपत्रित)	(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹ 47600 – 151100) (ii) वैयक्तिक सचिव के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर स्तर-9 में	चयन

	पर	गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड।	
सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी	
6	7	8	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	क्रमशः 2:1 के अनुपात में वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
क) पदोन्नति द्वारा: पद में 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वैयक्तिक सहायक (स्तर-6) नोट-1: एक बार की व्यवस्था के रूप में, स्तर-6 में 5 वर्ष की सेवाकालीन अवधि वाले मौजूदा वैयक्तिक सहायकों को 100% वरिष्ठता के आधार पर वैयक्तिक सचिव (स्तर-8) के लिए विचार किया जाएगा। नोट-2: स्तर-9 में एन.एफ.एस.जी. के साथ/उसके बिना मौजूदा परियोजना वैयक्तिक सचिव (स्तर-8) को वैयक्तिक सचिव (स्तर-8) या (स्तर-9), जैसा भी मामला हो, के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। ख) प्रतिनियुक्ति: (i) अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के पदधारियों में से: क) नियमित आधार पर सदृश पद	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें शामिल हैं: - मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक/ निदेशक (प्र.से.) / : अध्यक्ष - वरि. प्रधान/प्रधान, का. व सा. प्र. : सदस्य - वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य - वरि. क्रय एवं भण्डार अधिकारी : सदस्य - अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/दिव्यांग /अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद दस वर्षों की नियमित सेवा की हो। ii) <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह-ख के पदधारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद दस साल की नियमित सेवा की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र उम्मीदवारों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 26.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Gazetted post of Personal Secretary (Level-8), in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Personal Secretary Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;
OR
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to any of the said posts:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Personal Secretary (PS)	94* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Gazetted)	(i) Level-8 (Rs. 47600– 151100) in the Pay Matrix (ii) Non-Functional Selection Grade in Level-9 on completion of 4 years regular service in the post of Personal Secretary.	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	Promotion through Departmental Qualifying Exam By Seniority & Merit in the ratio of 2:1 respectively, failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) By promotion: Personal Assistants (Level-6) with 10 years' of regular service in the post.	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Chief Controller / : Chairperson Controller/ Director (A.S.) / Head (A.S.) / Appointing	Not Applicable

Note-1: As a one-time dispensation, existing Personal Assistants in Level-6 with 5 years' residency period will be considered for Personal Secretary (Level-8) on 100% seniority basis Note-2: Existing Project Personal Secretary (Level-8) with/without NFSG in Level-9 will be re-designated as Personal Secretary (Level-8) or (Level-9) as the case may be. b) Deputation: (i) <u>From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u> a) holding the analogous post on regular basis; or b) with ten years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix ii) <u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with ten years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.	Authority(in the absence of any one of the above) 2 Sr. Head/Head, P&GA : Member 3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 4 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 27.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में रसोइया-ए (स्तर-2) के समूह 'ग', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रसोइया-ए. भर्ती नियम, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रयोज्यता** - ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
रसोइया-ए	31*	सामान्य केंद्रीय सेवाएं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2	लागू नहीं

	*(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)	(रु. 19900- 63200)	
--	---	-------------------------------------	---------------------------	--

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट)। नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू के लद्दाख मंडल और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी उप-मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)। नोट-2: उन पदों के संबंध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती हैं, उनके लिए आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि, प्रत्येक मामले में वह होगी, जिस तिथि तक रोजगार कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।	मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन/एस.एस.सी./एस.एस.एल.सी./10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष के साथ-साथ किसी सुस्थापित होटल/कैंटीन में समान क्षमता (रसोइया के रूप में) में 5 वर्षों का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ग', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं सा.प्र. : अध्यक्ष 2 व. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 केटरिंग प्रबंधक/सहायक केटरिंग प्रबंधक : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला /	लागू नहीं

	दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	
--	------------------------	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 27.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Cook-A (Level-2) in the Indian Space Research Organisation, namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Cook-A Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Cook-A	31* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Services, Central Group 'C' (Non-Gazetted)	Level 2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
-------------------------------	---

6	7
18 to 35 Years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note-2: In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.	Matriculation/SSC/SSLC/10th class pass from a recognized Board or equivalent with 5 years' experience in similar capacity (as Cook) in a well-established Hotel/Canteen.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'C', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Catering Manager/ Assistant : Member Catering Manager 5 Mandatory Representatives : Member (SC/ST/Women/PWD/ Minority)	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 28.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में रसोइया-बी (स्तर-3) के समूह 'ग', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रसोइया-बी भर्ती नियम, 2025

कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रयोज्यता** – ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति** – इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
रसोइया-बी	30* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (₹ 21700- 69100)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत हुए कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
कुछ नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
(क) पदोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में रसोइया-ए पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारी। नोट-1: वर्तमान रसोइया (स्तर-2) को रसोइया-ए (स्तर-2) के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है तथा एक बार छूट के रूप में, दिनांक 01.07.2025 तक 03 वर्षों की सेवाकालीन अवधि वाले वर्तमान रसोइया (स्तर-2) के लिए समीक्षा की जाएगी और उन्हें बिना कौशल परीक्षा के तत्काल प्रभाव से स्तर-3 में रसोइया-बी के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। नोट-2: जहाँ कनिष्ठ कर्मचारी अपनी अर्हता सेवा पूर्ण करने के बाद पदोन्नति के लिए विचाराधीन है, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हता या पात्रता सेवा आधे से अधिक या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण की हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो। पूर्व के मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। (ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाएँ समूह-ग के कर्मचारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी या ख) समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर	समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिममें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1 व. प्रधान/ प्रधान, का. एवं सा.प्र. : अध्यक्ष 2 व.लेखा अधिकारी/ आं.वि.स. : सदस्य 3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 केटरिंग प्रबंधक/सहायक केटरिंग प्रबंधक : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

पद पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में, अं.वि./इसरो में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्ष आगे बढ़ाया जा सकेगा।		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Cook-B (Level-3) in the Indian Space Research Organisation, namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Cook - B Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Cook-B	30* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services Group 'C' (Non-Gazetted)	Level - 3 (Rs. 21700-69100) in the Pay Matrix	Non-Selection
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	
6		7	8	
Not Applicable		Not Applicable	Not Applicable	

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
(a) By promotion: Cook-A in Level-2 in the Pay Matrix, with 3 years' of regular service in the post. Note-1: Existing Cook (Level-2) is re-designated as Cook-A (Level-2) and, as a one-time dispensation, existing Cook in Level-2 with minimum 3 years residency period as on 01.07.2025 Review will be considered for promotion to Cook-B in Level-3 for forthwith implementation without skill test. Note-2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/ IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Office : Member 4 Catering Manager/ Assistant Catering Manager : Member 5 Mandatory Representatives (SC/ST/Women/PWD/Minority) : Member	Not Applicable

qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened. (b) Deputation: <u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with three years' of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-2 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 29.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में प्रधान रसोइया (स्तर-4) के समूह 'ग', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, प्रधान रसोइया भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रयोज्यता – ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. अपात्रता – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. व्यावृत्ति – इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
प्रधान रसोइया	28* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹ 25500- 81100)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत हुए कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
कुछ नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
(क) पदोन्नति द्वारा: रसोइया-बी (स्तर-3) पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारी। नोट-1: एक बार छूट के रूप में, रसोइया-ए (स्तर-2) एवं रसोइया-बी (स्तर-3) पद पर 8 वर्ष की सेवा अवधि वाले रसोइया, जिन्होंने रसोइया-बी के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सेवा की है, प्रधान रसोइया (स्तर-4) पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। (ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाएँ समूह-ग के कर्मचारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में, अं.वि./इसरो में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और	समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं सा.प्र. : अध्यक्ष 2 व. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 केटरिंग प्रबंधक/ सहायक केटरिंग प्रबंधक : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्ष आगे बढ़ाया जा सकेगा।		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th December, 2025

G.S.R. 29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Head Cook (Level-4) in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Head Cook Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;
OR
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Head Cook	28* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-4 (Rs. 25500- 81100) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	
9	10	
Nil	By promotion (100% seniority), failing which by Deputation.	
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
(a) By promotion: Cook-B (Level-3) with 5 years' of regular service in the post. Note-1: As a one-time dispensation, Cook with combined residency period of 8 years in Cook-A (Level-2) and Cook-B (Level-3) with minimum of 1 year regular service in Cook-B will be considered for Head Cook (Level-4). (b) Deputation: <u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-3 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2	Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Catering Manager/ Assistant Catering Manager : Member 5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

more years with due procedure.		
--------------------------------	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 30.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए (स्तर-5) के समूह 'ग', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ -** (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **प्रयोज्यता -** ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में दिये अनुसार होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उसके संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में दिये अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि -** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिये अनुसार होंगे।

5. **अपात्रता -** कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार -** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति -** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए सुझाया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
-----------	----------------	----------	-------------------------	------------------------------

1	2	3	4	5
वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए	25* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (₹ 29200–92300)	गैर-चयन
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत हुए कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे		
6	7	8		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
कुछ नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी रचना कैसी है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
(क) पदोन्नति द्वारा: प्रधान रसोइया (स्तर-4) पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारी। नोट-1: वर्तमान परियोजना रसोइया (स्तर-5) को वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए (स्तर-5) के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है तथा परियोजना रसोइया (स्तर-5) के रूप में की गई सेवा को वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए के रूप में माना जाएगा। नोट-2: एक बार छूट के रूप में, दिनांक 01.07.2025 तक न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा अवधि वाले वर्तमान प्रधान रसोइया (स्तर-4) के लिए समीक्षा की जाएगी और उन्हें बिना कौशल परीक्षण के आगे के कार्यान्वयन के लिए वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए (स्तर-5) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। (ख) प्रतिनियुक्ति:	समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिममें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं : अध्यक्ष सा.प्र. 2 व. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 केटरिंग प्रबंधक/सहायक केटरिंग प्रबंधक : सदस्य 5 आवश्यक प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

<u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाएँ समूह-ग के कर्मचारी:</u> ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारित; या बी) समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में, अं.वि./इसरो में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्ष आगे बढ़ाया जा सकेगा।		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Senior Head Cook-A (Level-5) in the Indian Space Research Organisation, namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Head Cook-A Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Head Cook-A	25* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level -5 (Rs. 29200 – 92300) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
(a) By promotion: Head Cook (Level-4) with 5 years' of regular service in the post. Note-1: Existing Project Cook (Level-5) is re-designated as Senior Head Cook-A (Level-5), and service rendered in the post of Project Cook (Level-5) shall be reckoned as Senior Head Cook – A.	Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Catering Manager/ Assistant Catering Manager : Member	Not Applicable

Note-2: As a one-time dispensation, existing Head Cook (Level-4) with minimum 5 years residency period as on 01.07.2025 Review will be considered for Senior Head Cook-A (Level-5) for forthwith implement - tation without skill test. (b) Deputation: <u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.	5 Mandatory Representatives : Member (SC/ST/Women/PWD/ Minority)	
--	---	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 31.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ प्रधान रसोइया-बी (स्तर-6) के समूह 'ख', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ -** (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ प्रधान रसोइया-बी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता -** ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. अपात्रता – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

वर्तते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. व्यावृत्ति – इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
वरिष्ठ प्रधान रसोइया-बी	25* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ख' (गैर-राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400-112400)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत हुए कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे
----------------------------	--	--

6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
(क) पदोन्नति द्वारा: वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए (स्तर-5) पद पर 6 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारी। नोट-1: वर्तमान में स्तर-6 में वरिष्ठ परियोजना रसोइया को वरिष्ठ प्रधान रसोइया-बी के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है तथा एक बार छूट के रूप में, न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सेवा वाले स्तर-5 में परियोजना रसोइया/वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए के साथ स्तर-5 में परियोजना रसोइया/स्तर-5 में वरिष्ठ प्रधान रसोइया-ए के साथ-साथ स्तर-4 में प्रधान रसोइया के रूप में 6 वर्षों की संयुक्त सेवा को वरिष्ठ प्रधान रसोइया-बी (स्तर-6) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। (ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाएँ के कर्मचारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1 मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) / : अध्यक्ष प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी के भी उपस्थित न रहने पर) 2 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं सा.प्र. : सदस्य 3 व. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 4 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 5 केटरिंग प्रबंधक/सहायक केटरिंग प्रबंधक : सदस्य 6 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा. / : सदस्य अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

कर्मचारी; या ख) समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में छह वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में, अं.वि./इसरो में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्ष आगे बढ़ाया जा सकेगा।		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Senior Head Cook-B (Level-6) in the Indian Space Research Organisation, namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Head Cook-B Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** -The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any

class or category of persons.

7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Head Cook-B	25* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400 – 112400) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
(a) Promotion Senior Head Cook-A (Level-5) with 6 years' of regular service in the post. Note-1: Existing Senior Project Cook in Level-6 is re-designated as Senior Head Cook-B, and as a one-time dispensation, combined service of 6 years in Head Cook in Level-4 along with Project Cook in Level-5/ Senior Head Cook-A in Level-5 with a	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head(A.S.) / Appointing Authority(in the absence of any one of the above) : Chairperson 2 Sr. Head/Head, P&GA : Member 3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 4 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 5 Catering Manager/ Assistant Catering Manager : Member	Not Applicable

minimum 1 year regular service in Project Cook / Senior Head Cook-A in Level-5 will be considered for Senior Head Cook-B (Level-6). (b) Deputation: <u>Officials from Central Services under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with six years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-5 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure	6 Mandatory Representatives : Member (SC/ST/Women / PWD/Minority)	
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 32.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में लघु वाहन चालक-ए (स्तर-2) के समूह 'ग' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं :

- लघु शीर्षक और आरंभ-** (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, लघु वाहन चालक- ए भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि- उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. अपात्रता – कोई भी ऐसा व्यक्ति,

क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. व्यावृत्ति – इन नियमों से, इस संबंध में समय- समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
लघु वाहन चालक-ए (एल.वी.डी.-ए)	90* * (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 (₹ 19900-63200)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 40 वर्ष तक छूट) नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश)	मैट्रिकुलेशन/एस.एस.एल.सी./एस.एस.सी. या समकक्ष तथा लघु वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अनुभव: लघु वाहन चालक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। नोट-1: अभ्यर्थी के द्वारा पद पर कार्य-ग्रहण के बाद तीन माह के अंदर संबंधित राज्य, जहां अभ्यर्थी नियुक्त है, के मोटर वाहन अधिनियम की किसी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। नोट-2: कुल निर्दिष्ट अनुभव वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए।

के चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।	नोट-3: अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी / अर्धसरकारी एजेंसियों / पंजीकृत कंपनियों / समितियों / न्यासों इत्यादि का ही होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष से दिया गया अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
नोट-2: पदों के संबंध में, जो नियुक्तियां रोजगार कार्यालय(यों) के माध्यम से की जाती हैं, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि वही होगी जो रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख निर्धारित की जाती है।	नोट-4: अनुभव वर्षों की गणना करने में अंशकालिक अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा। नोट-5: यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवश्यक अर्हता, अनुभव व लोक सेवा बैज, यदि आवश्यक हो, होना चाहिए।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं: 1 वरि. प्रधान/प्रधान, का.एवं सा.प्र. : अध्यक्ष 2 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स : सदस्य 3 वरि. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 परिवहन प्रभारी : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Light Vehicle Driver-A (Level-2) in Indian Space Research Organization (ISRO), namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Light Vehicle Driver-A Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Light Vehicle Driver-A (LVD-A)	90* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-2 (Rs. 19900- 63200) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
18 to 35 years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal	Matriculation/SSLC/SSC or equivalent and must possess a valid Driving License for light vehicles. Experience: 3 years' experience as Light Vehicle Driver. Note-1: Any other requirement of the Motor Vehicle Act of the concerned State in which the candidate is posted should be met within 3 months after the candidate joins the post. Note-2: Total prescribed experience should be after obtaining valid Driving License. Note-3: Experience Certificate should only be from the Government / Semi-Government Agencies / Registered Companies / Societies / Trusts, etc. Experience Certificate from individuals will not be accepted.

Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Note-4: Part time experience will not be considered for calculation of number of years of experience Note-5: It is mandatory that the candidate should possess the requisite qualification, experience and Public Service Badge, if required, as on the last date of the application.
Note-2: In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One Year	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'C', Departmental Selection/ Confirmation Committee consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Transport In-charge : Member 5 Mandatory Representatives (SC/ ST/Women/PWD/ Minority) : Member	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 33.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में लघु वाहन चालक-बी (स्तर-4) के समूह 'ग' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ- (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, लघु वाहन चालक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता- ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन

मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है,

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
लघु वाहन चालक-बी (एल.वी.डी.-बी)	90* * (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगा
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10

शून्य	पदोन्नति से (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन श्रेणियों से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
क) पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में लघु वाहन चालक-ए पद में न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ। नोट-1: स्तर-4 में लघु वाहन चालक-बी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा फीडर पद अर्थात नियमित आधार पर स्तर-2 में लघु वाहन चालक- ए धारण करने वाले कर्मचारियों के लिए इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर पांच (5) वर्ष जारी रहेगी। नोट-2: जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवाएं पूरी कर ली हैं तथा पदोन्नति के लिए विचारार्थ हैं, उनके वरिष्ठ भी अपने कनिष्ठों के साथ अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए विचारार्थ होंगे, बशर्ते कि वे ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा का आधे से अधिक या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, पूरा कर चुके हों और परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। पिछले मामलों को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है। ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के तहत केंद्रीय सेवा समूह-ग के कर्मचारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद आठ साल की नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) में शामिल हैं: 1 वरि. प्रधान / प्रधान, का. व सा. प्र. : अध्यक्ष 2 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 3 वरि. क्रय एवं भण्डार अधिकारी : सदस्य 4 परिवहन प्रभारी : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Light Vehicle Driver-B (Level-4) in Indian Space Research Organization (ISRO), namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Light Vehicle Driver-B Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Light Vehicle Driver-B (LVD-B)	90* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) Promotion: Light Vehicle Drivers – A in Level-2 in the Pay Matrix with a minimum of 8 years' regular service in the post. Note-1: The eligibility service for promotion to the post of Light Vehicle Drivers – B in Level-4 shall continue to be five (5) years for persons holding the feeder post i.e. Light Vehicle Drivers – A in Level-2 on regular basis on the date of notification of these rules. Note-2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being	Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/ IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Transport In-charge : Member 5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened. b) Deputation: <u>(i) From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u> a) holding the analogous post on regular basis; or b) with eight years' of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-2 in the pay matrix. <u>(ii) Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with eight years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-2 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 34.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति,

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वरिष्ठ लघु वाहन चालक-ए (स्तर-5) के समूह 'ग', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं :

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ लघु वाहन चालक-ए भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रयोज्यता** - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, आदि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. **अर्हता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
वरिष्ठ लघु वाहन चालक - ए (वरि. एल.वी.डी.-ए)	105* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (₹29200-92300)	गैर-चयन

	की शर्त पर			
--	------------	--	--	--

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, जिन श्रेणियों से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
क) पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 में न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ लघु वाहन चालक 'बी' पदधारी। नोट-1: मौजूदा लघु वाहन चालक-बी (स्तर-4) को वरिष्ठ लघु वाहन चालक-ए (स्तर-5) 4 वर्ष पर या लघु वाहन चालक-बी (स्तर-4) में न्यूनतम 2 वर्षों के साथ लघु वाहन चालक-ए (स्तर-2) और लघु वाहन चालक-बी (स्तर-4) में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा पूरी करने पर वरिष्ठ लघु वाहन चालक-ए (स्तर-5) पर विचार किया जाएगा। ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के समूह- ग के पदधारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद	समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें शामिल हैं: - वरि. प्रधान/प्रधान, का. व सा. प्र. : अध्यक्ष - वरि. लेखा अधिकारी/ आं.वि.स. : सदस्य - वरि. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य - परिवहन प्रभारी : सदस्य - अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Senior Light Vehicle Driver-A (Level-5) in Indian Space Research Organization (ISRO), namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Light Vehicle Driver-A Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Light Vehicle Driver-A (Sr. LVD-A)	105* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-5 (Rs. 29200- 92300) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) Promotion: Light Vehicle Driver 'B' in Level 4 in the Pay Matrix with a minimum of 5 years' regular service in the post. Note-1: Existing Light	Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member	Not Applicable

Vehicle Driver-B (Level-4) will be considered for Senior Light Vehicle Driver-A (Level-5) on completion of 4 years or combined service of 9 years in Light Vehicle Driver-A (Level-2) and Light Vehicle Driver-B (Level-4) with minimum of 2 years in Light Vehicle Driver-B (Level-4). b) Deputation: <u>(i) From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u> a) holding the analogous post on regular basis; or b) with five years' of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix. <u>(ii) Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.	4 Transport In-charge : Member 5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	
---	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 35.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वरिष्ठ लघु वाहन चालक-बी (स्तर-6) के समूह 'ख', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं :

- लघु शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ लघु वाहन चालक-बी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, आदि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अर्हता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,
किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
वरिष्ठ लघु वाहन चालक - बी (वरि. एल.वी.डी.-बी)	17* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400-112400)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
------------------------	---	---

सीमा		
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, जिन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
क) पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 में न्यूनतम 6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वरिष्ठ लघु वाहन चालक 'ए' पदधारी। नोट-1: मौजूदा वरिष्ठ लघु वाहन चालक-ए (स्तर-5) को 3 वर्ष पूरा करने पर वरिष्ठ लघु वाहन चालक-बी (स्तर-6) हेतु विचार किया जाएगा। ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के पदधारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद छः वर्षों की नियमित सेवा की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें शामिल हैं: 1 मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक/निदेशक (प्र.से.) / : अध्यक्ष प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त की अनुपस्थिति में कोई एक) 2 वरि. प्रधान/प्रधान, का. व सा. प्र. : सदस्य 3 वरि. लेखा अधिकारी/आ.वि.स. : सदस्य 4 वरि. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 5 परिवहन प्रभारी : सदस्य 6 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Senior Light Vehicle Driver-B (Level-6), in Indian Space Research Organization (ISRO), namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Light Vehicle Driver-B Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Light Vehicle Driver-B (Sr. LVD-B)	17* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	
9	10	
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.	

In case of recruitment by promotion/deputation /absorption, grades from which promotion/ deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) Promotion: Senior Light Vehicle Drivers – A in Level-5 in the Pay Matrix with a minimum of 6 years' regular service in the post. Note-1: Existing Senior Light Vehicle Drivers – A (Level-5) will be considered for Senior Light Vehicle Drivers – B (Level-6) on completion of 3 years. b) Deputation: <u>(ii) Officials from Central Services under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with six years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-5 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head(A.S.) / Appointing Authority(in the absence of any one of the above) : Chairperson 2 Sr. Head/Head, P&GA : Member 3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 4 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 5 Transport-in-charge : Member 6 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

Note-3: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.		
---	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 36.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में भारी वाहन चालक-ए. (स्तर-2) के समूह 'ग', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारी वाहन चालक-ए. भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रयोज्यता** – ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. **अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
भारी वाहन चालक-ए (एच.वी.डी.-ए.)	89* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 (रु. 19900-63200)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक की छूट)। नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू के लद्दाख मंडल और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी उप-मंडल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)। नोट-2: उन पदों के संबंध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती हैं, उनके लिए आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि, प्रत्येक मामले में वह होगी, जिस तिथि तक रोजगार	मैट्रिकुलेशन/एस.एस.सी./एस.एस.एल.सी. या समकक्ष अनुभव: 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें से भारी वाहन चालक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव तथा शेष अवधि का अनुभव लघु मोटर वाहन चलाने का होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास एच.वी.डी. लाइसेंस तथा लोक सेवा बैज, यदि वैधानिक हो, अवश्य होना चाहिए। यदि किसी राज्य में लोक सेवा बैज अनिवार्य नहीं है, तो ऐसे राज्य/राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों को, यदि उन्हें ऐसे राज्य/राज्यों में नियुक्त किया जाता है जहाँ यह अनिवार्य है, तो पद ग्रहण करने की तिथि से 3 माह के भीतर यह आवश्यकता पूरी करनी होगी। नोट-1: निर्धारित कुल अनुभव केवल वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद का ही होना चाहिए। नोट-2: अनुभव प्रमाण-पत्र केवल सरकारी / अर्ध-सरकारी संस्थाओं / पंजीकृत कंपनियों / समितियों / न्यासों आदि द्वारा जारी होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नोट-3: अंशकालिक अनुभव को अनुभव के वर्षों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

कार्यालयों से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।	नोट-4: यह अनिवार्य है कि अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि तक आवश्यक अर्हता, अनुभव तथा लोक सेवा बैज होना चाहिए।
--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ग', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं : अध्यक्ष सा.प्र. 2 व.लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 परिवहन प्रभारी : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Heavy Vehicle Driver-A (Level-2) in Indian Space Research Organisation (ISRO), namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Heavy Vehicle Driver-A Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Heavy Vehicle Driver-A (HVD-A)	89* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-2 (Rs. 19900- 63200) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
18 to 35 years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note-2: In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to	Matriculation/SSLC/SSC or equivalent Experience: 5 years' experience, out of which minimum 3 years as Heavy Vehicle Driver and the balance period driving experience of light motor vehicle. Must possess HVD license and Public Service Badge, if statutory In case Public Service Badge is not mandatory in any State, candidates from such State(s) should meet this requirement within 3 months of joining the post, if they are posted to such State(s) where it is mandatory. Note-1: Total prescribed experience should be after obtaining valid Driving License. Note-2: Experience Certificate should only be from the Government / Semi-Government Agencies / Registered Companies / Societies / Trusts, etc. Experience Certificate from individuals will not be accepted. Note-3: Part time experience will not be considered for calculation of number of years of experience. Note-4: It is mandatory that the candidate should possess the

submit the names.	requisite qualification, experience and requirement of Public Service Badge as on the last date of the application.
-------------------	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One Year	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'C', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Transport In-charge : Member 5 Mandatory Representatives : Member (SC / ST / Women / PWD / Minority)	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 37.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में भारी वाहन चालक-बी. (स्तर-4) के समूह 'ग', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारी वाहन चालक-बी. भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में दिए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए अनुसार होंगे।

5. **अपात्रता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

वर्शते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए सुझाया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
भारी वाहन चालक-बी. (एच.वी.डी.-बी.)	89* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (रु. 25500- 81100)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी।
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
-------------------------------	--

9	10
कुछ नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किन श्रेणियों से की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
क) पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में भारी वाहन चालक-ए. पद पर 8 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारी। नोट-1: स्तर-4 में भारी वाहन चालक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सेवा, इन नियमों की अधिसूचना के तिथि पर नियमित आधार पर फीडर पद अर्थात् स्तर-2 में भारी वाहन चालक-ए. का पद धारण करने वाले कर्मचारियों हेतु 05 वर्ष जारी रहेगी। नोट-2: जहाँ कनिष्ठ कर्मचारी अपनी अर्हता सेवा पूर्ण करने के बाद पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हता या पात्रता सेवा आधे से अधिक या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति हेतु परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण की हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो। पूर्व के मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाएँ समूह-ग के कर्मचारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन	समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिममें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1 व. प्रधान/प्रधान, का. एवं : अध्यक्ष सा.प्र. 2 व. लेखा अधिकारी/ : सदस्य आं.वि.स. 3 व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 परिवहन प्रभारी : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

में, अं.वि./इसरो में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Heavy Vehicle Driver-B (Level-4) in Indian Space Research Organisation (ISRO), namely:

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Heavy Vehicle Driver-B Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5

Heavy Vehicle Driver-B (HVD-B)	89* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-4 (Rs. 25500- 81100) in the Pay Matrix	Non-Selection
---------------------------------------	---	--	---	---------------

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) Promotion: Heavy Vehicle Drivers – A in Level-2 in the Pay Matrix with a minimum of 8 years' regular service in the post. Note-1: The eligibility service for promotion to the post of Heavy Vehicle Drivers – B in Level-4 shall continue to be five (5) years for persons holding the feeder post i.e. Heavy Vehicle Drivers – A in Level-2 on regular basis on the date of notification of these rules. Note-2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for	Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Transport In-charge : Member 5 Mandatory Representatives : Member (SC / ST / Women / PWD / Minority)	Not Applicable

promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened. b) Deputation: <u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with eight years' of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-2 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 38.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ भारी वाहन चालक-ए (स्तर-5) के समूह 'ग', गैर-राजपत्रित पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं :

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ भारी वाहन चालक-ए भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रयोज्यता** - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन

मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, आदि** - उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. **अर्हता** - कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है;

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

वशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार**- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति**- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए सुझाया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
वरिष्ठ भारी वाहन चालक - ए (वरि. एच.वी.डी.-ए)	103* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (₹ 29200-92300)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
----------------------------	---

9	10
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, जिन श्रेणियों से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।
11	12	13
(क) पदोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ भारी वाहन चालक 'बी' पदधारी। नोट-1: मौजूदा भारी वाहन चालक-बी (स्तर-4) को 4 वर्ष या भारी वाहन चालक-बी (स्तर-4) में न्यूनतम 2 वर्षों के साथ भारी वाहन चालक-ए (स्तर-2) और भारी वाहन चालक-बी (स्तर-4) में 9 वर्षों की संयुक्त सेवा पूरी करने पर वरिष्ठ भारी वाहन चालक-ए (स्तर-5) के लिए विचार किया जाएगा। (ख) प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के समूह-ग के पदधारी: क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्षों के	समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें शामिल हैं: 1 वरि. प्रधान/प्रधान, का. व : अध्यक्ष सा. प्र. 2 वरि. लेखा अधिकारी/ : सदस्य आ.वि.स. 3 वरि. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 परिवहन प्रभारी : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग/अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		
----------------------------	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Senior Heavy Vehicle Driver-A (Level-5) in Indian Space Research Organisation (ISRO), namely:

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Heavy Vehicle Driver-A Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Heavy Vehicle Driver-A (Sr. HVD-A)	103* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-5 (Rs.29200- 92300) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in
-------------------------------	--	---

	recruits	the case of promotees.
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) Promotion: Heavy Vehicle Driver 'B' in Level 4 in the Pay Matrix with a minimum of 5 years' regular service in the post. Note-1: Existing Heavy Vehicle Drivers-B (Level-4) will be considered for Senior Heavy Vehicle Drivers-A (Level-5) on completion of 4 years or combined service of 9 years in Heavy Vehicle Drivers-A (Level-2) and Heavy Vehicle Drivers-B (Level-4) with minimum of 2 years in Heavy Vehicle Drivers-B (Level-4). b) Deputation: <u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-4 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: The period of deputation shall	Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/ IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Transport In-charge : Member 5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 39.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ भारी वाहन चालक-बी (स्तर-6) के समूह 'ख', अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ भारी वाहन चालक-बी. भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में दिए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि** - उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है;

अथवा

(ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति** – इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
वरिष्ठ भारी वाहन चालक-बी	16*	सामान्य केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6	गैर-चयन

(व. एच.वी.डी.-बी)	*(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सेवाएं समूह 'ख' (गैर-राजपत्रित)	(रु. 35400- 112400)	
-------------------	--	---------------------------------	---------------------	--

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी।
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
कुछ नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किन श्रेणियों से की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
क) पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में वरिष्ठ भारी वाहन चालक-ए. पद पर 6 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारी। नोट-1: वर्तमान वरिष्ठ भारी वाहन चालक-ए. (स्तर-5) को 3 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वरिष्ठ भारी वाहन चालक-बी. (स्तर-6) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारी:</u> क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी;	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: - मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक/ निदेशक (प्र.से.)/प्रधान (प्र.से.)/ नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी के भी उपस्थित न रहने पर) : अध्यक्ष व. प्रधान/प्रधान, का. एवं सा.प्र. : सदस्य व. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य व. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य - परिवहन प्रभारी : सदस्य - अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा/ महिला/दिव्यांग/अल्पसंख्यक) : सदस्य	लागू नहीं

या ख) समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में छह वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में, अं.वि./इसरो में समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और उचित प्रक्रिया के साथ इसे 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Senior Heavy Vehicle Driver-B (Level-6) in Indian Space Research Organisation (ISRO), namely:

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Heavy Vehicle Driver-B Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing,

exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Heavy Vehicle Driver-B (Sr. HVD-B)	16* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400- 112400) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) Promotion: Senior Heavy Vehicle Drivers – A in Level-5 in the Pay Matrix with a minimum of 6 years' regular service in the post. Note-1: Existing Senior Heavy Vehicle Drivers – A (Level-5) will be considered for Senior Heavy Vehicle Drivers – B (Level-6) on completion of 3 years.	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of: 1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head(A.S.) / Appointing Authority(in the absence of any one of the above) : Chairperson 2 Sr. Head/Head, P&GA : Member 3 Sr. Accounts Officer/ IFA : Member 4 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 5 Transport-in-charge : Member	Not Applicable

b) Deputation: <u>Officials from Central Services under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with six years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-5 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.	6 Mandatory Representatives(SC/ST : Member / Women / PWD / Minority)	
--	---	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 40.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (स्तर-6) के समूह 'ख' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:-

- लघु शीर्षक और आरंभ-** (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता-** ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति,
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

या

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (जे.टी.ओ)	28* * (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400-112400)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 वर्ष नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।	अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी के साथ हिंदी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री; या अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में स्नातक स्तर पर हिंदी के साथ अंग्रेजी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री; या हिंदी माध्यम में हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में ; या अंग्रेजी माध्यम में हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री तथा स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य या

	वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में ; या हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक डिग्री, तथा स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी रही हो या दोनों विषयों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम तथा दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो; तथा हिंदी से अंग्रेजी और विपरीततः में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रमों सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद कार्य का दो साल का अनुभव। कंप्यूटर प्रयोग में दक्षता।
--	--

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ख' विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं: 1 मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में किसी एक की अनुपस्थिति में) : अध्यक्ष 2 वरि. प्रधान/प्रधान, का. एवं सा.प्र. : सदस्य 3 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 4 उप निदेशक (रा.भा.) : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 40.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Junior Translation Officer (Level-6) in the Indian Space Research Organisation, namely :-

1. **Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Junior Translation Officer Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Junior Translation Officer (JTO)	28* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400- 112400) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7
18 to 35 Years for General (Unreserved) Candidates Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed	Master's degree from any recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from any recognized University in English with Hindi

for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from any recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from any recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Master's degree from any recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND Recognized Diploma or Certificate course in Translation from Hindi to English and vice- versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government Office, including Government of India undertakings. Proficiency in use of computers
--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'B', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of : 1 Chief Controller / Controller / Director (A.S.) / Head (A.S.) / Appointing Authority (in the absence of any one of the above) : Chairperson 2 Sr. Head/Head, P&GA : Member 3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 4 Deputy Director (OL) : Member 5 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 41.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (स्तर-7) के समूह 'ख' के अराजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं :-

- लघु शीर्षक और आरंभ-** (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।**
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता** – कोई भी ऐसा व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

या

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय- समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (एस.टी.ओ)	14* * (2025) कार्य की मात्रा के आधार पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ख' अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400)	गैर-चयन

	परिवर्तन की शर्त पर			
सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत अभ्यर्थियों के मामले में लागू होगा		
6	7	8		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
शून्य	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
क) पदोन्नति: पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (स्तर-6)। नोट-1: डीपीसी समीक्षा उद्देश्य हेतु इसरो मुख्यालय द्वारा सभी पदों के लिए एक साझा वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। नोट-2: अब से, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी पर पदोन्नति स्थानांतरण उत्तरदायित्व के साथ केंद्रीकृत होगी तथा इसरो मु. द्वारा डीपीसी संचालित की जाएगी। नोट-3: जहां कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवाएं पूरी कर ली हैं, पदोन्नति के लिए विचारार्थ हैं, उनके वरिष्ठ भी अपने कनिष्ठों की भांति अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति हेतु विचारार्थ होंगे, बशर्ते वे आवश्यक अर्हता या पात्रता सेवा की आधे से अधिक अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुके हों तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त कर चुके हों। विगत मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है।	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति में (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) शामिल हैं : 1 मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक/ निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में किसी एक की अनुपस्थिति में) : अध्यक्ष 2 वरि. प्रधान/प्रधान, का.एवं सा.प्र. : सदस्य 3 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 4 उप निदेशक (रा.भा.) : सदस्य 5 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/दिव्यांग/अल्पसंख्यक) : सदस्य	लागू नहीं

ख) प्रतिनियुक्ति : (i) <u>अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के पदाधिकारियों में से:</u> क) नियमित आधार पर सदृश पदधारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में सदृश संवर्ग में पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो। (ii) <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह 'ख' के कर्मचारी:</u> क) नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पदधारित कर्मचारी; या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में समान संवर्ग में पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट-3: प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 41.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Senior Translation Officer (Level-7) in the Indian Space Research Organisation, namely :-

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Senior Translation Officer Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living
OR
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to any of the said posts :
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
Senior Translation Officer (STO)	14* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted.	Level-7 (Rs. 44900 – 142400) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Nil	By promotion (100% Seniority), failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) Promotion: Junior Translation Officer (Level-6) with 5 years' of regular service in the post. Note-1: A common seniority list	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of; 1 Chief Controller / Controller / : Chairperson Director (A.S.) / Head (A.S.)/ Appointing Authority(in the absence	Not Applicable

for all posts will be maintained by ISRO Headquarters for DPC review purpose. Note-2: Henceforth, Promotion to Senior Translation Officer will be centralized with transfer liability and DPC will be conducted by ISRO HQ. Note-3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened. b) Deputation: (i) <u>From amongst the Officials in Department of Space (DOS):</u> a) holding the analogous post on regular basis; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix ii) <u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.	of any one of the above) 2 Sr. Head/Head, P&GA : Member 3 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 4 Deputy Director (OL) : Member 5 Mandatory Representatives(SC/ST / Women / PWD / Minority) : Member	
---	---	--

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 42.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में केटरिंग पर्यवेक्षक (स्तर-6) के समूह 'ख', अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, केटरिंग पर्यवेक्षक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।**
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

अथवा

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
केटरिंग पर्यवेक्षक	14* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400- 112400)	लागू नहीं

पर।			
सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं		
6	7		
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए यह निर्धारित अंतिम तिथि)।	एक वर्ष के अनुभव के साथ, होटल प्रबंधन; या होटल प्रबंधन एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी; या आतिथ्य एवं होटल प्रशासन; या केटरिंग विज्ञान एवं होटल प्रबंधन में डिग्री। अथवा 3 वर्षों के अनुभव के साथ केटरिंग में डिप्लोमा। अथवा 2 वर्षों के अनुभव के साथ होटल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। औद्योगिक कैंटीन या 300 से अधिक व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने वाले एक स्थापित होटल में पर्यवेक्षीय क्षमता में अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थियों में अत्याधुनिक रसोई उपकरणों का उपयोग करके उन्नत श्रेणी की कैंटीन सेवाएं प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। संबद्ध शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात का अनुभव होना चाहिए।		

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
8	9	10
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ख', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में शामिल हैं: - मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की अनुपस्थिति में) : अध्यक्ष - वरि. प्रधान / प्रधान, का. एवं सा.प्र. : सदस्य - प्रधान, सी एवं जी.एच.एस. : सदस्य - वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य	लागू नहीं

5	वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी	: सदस्य	
6	अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	: सदस्य	

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Non-Gazetted post of Catering Supervisor (Level-6) in the Indian Space Research Organisation, namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Catering Supervisor Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Catering Supervisor	14* *(2025) Subject to variation depending	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted)	Level-6 (Rs. 35400- 112400) in	Not Applicable

	on workload		the Pay Matrix	
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		
6		7		
18 to 35 Years for General (Unreserved) Candidates Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		Degree in Hotel Management; or Hotel Management & Catering Technology; or Hospitality & Hotel Administration; or Catering Science & Hotel Management; with One-year experience. OR Diploma in Catering with 3 years' experience. OR Post Graduate Diploma in Hotel Management with 2 years' experience. The experience should be in supervisory capacity in an Industrial canteen or an established Hotel catering to more than 300 persons. Candidates should be capable of providing top grade canteen services using modern state of the art kitchen equipments. The experience should be after obtaining the relevant educational qualification.		

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable	One year	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'B', Departmental Selection/Confirmation Committee, consisting of : 1 Chief Controller/Controller/ Director (A.S.)/Head (A.S.)/ Appointing Authority (in the absence of any one of the above) 2 Sr. Head / Head, P&GA : Member 3 Head, C&GHS : Member 4 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 5 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 6 Mandatory Representatives(SC/ ST/Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 43.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में सहायक केटरिंग प्रबंधक (स्तर-8) के समूह 'ख', राजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सहायक केटरिंग प्रबंधक भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि**— उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता**— कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

अथवा

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार**— जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- व्यावृत्ति**— इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयनित या गैर-चयनित पद है
1	2	3	4	5
सहायक केटरिंग प्रबंधक	10* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर।	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ख' (राजपत्रित)	(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600 – 151100) (ii) सहायक केटरिंग प्रबंधक के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर स्तर-9 में गैर-	चयन

			प्रकार्यात्मक चयन श्रेणी।	
सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी		
6	7	8		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।			
9	10			
कुछ नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% योग्यता), अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।			

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
क) पदोन्नति द्वारा: केटरिंग पर्यवेक्षक (स्तर-6) के पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा। नोट-1: स्तर-6 में मौजूदा केटरिंग पर्यवेक्षकों को स्तर-6 में केटरिंग पर्यवेक्षक की श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर सहायक केटरिंग प्रबंधक (स्तर-8) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। नोट-2: मौजूदा पदधारियों को तब तक पद धारण करने की अनुमति है जब तक कि वे पद रिक्त नहीं कर देते हैं या अन्यथा। प्रवेश स्तर (अर्थात् स्तर-6 में केटरिंग पर्यवेक्षक) पर रिक्त किए गए पदों के प्रति आगे कोई भर्ती नहीं की जाएगी। नोट-3: जहाँ ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं, वहाँ उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हता या पात्रता सेवा की	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं: 1 मुख्य नियंत्रक / नियंत्रक / निदेशक (प्र.से.) : अध्यक्ष / प्रधान (प्र.से.) / नियुक्ति प्राधिकारी (उपर्युक्त में से किसी एक की अनुपस्थिति में) 2 वरि. प्रधान / प्रधान, का. एवं सा.प्र. : सदस्य 3 प्रधान, सी एवं जी.एच.एस. : सदस्य 4 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 5 वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 6 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

अवधि, ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा की आधी अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों के साथ परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है। पिछले मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है। ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह-ख के पदधारी:</u> (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या (ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद छह वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों का चयन समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'B', Gazetted post of Assistant Catering Manager (Level-8), in the Indian Space Research Organisation, namely :

- Short title and commencement** – (1) These Rules may be called the Indian Space Research Organisation, Assistant Catering Manager Recruitment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -

a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Assistant Catering Manager	10* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'B' (Gazetted)	(i) Level-8 (Rs. 47600 – 151100) in the Pay Matrix. (ii) Non-Functional Selection Grade in Level-9 on completion of 4 years' of regular service in the post of Assistant Catering Manager.	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10

Nil	By promotion (100% Merit), failing which by Deputation.	
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
a) By promotion: Catering Supervisor (Level-6) with 6 years of regular service in the post. Note-1: The existing Catering Supervisors in Level-6 will be considered for promotion to the post of Assistant Catering Manager (Level-8) on completion of 4 years of regular service in the grade of Catering Supervisor in Level-6. Note-2: The existing incumbents are allowed to continue to hold the post till they vacate the post(s) or otherwise. No further recruitment shall be made against the posts vacated at induction level (i.e. Catering Supervisor in Level-6). Note-3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened. b) Deputation: <u>Officials from Central Services Group-B under the Central Government:</u> (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or	Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of: 1 Chief Controller / Controller/ Director (A.S.) / Head (A.S.)/ Appointing Authority (in the absence of any one of the above) : Chairperson 2 Sr. Head / Head, P&GA : Member 3 Head, C&GHS : Member 4 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 5 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 6 Mandatory Representatives (SC / ST / Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

Department; or (b) with six years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-6 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 44.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में परिचर-ए (स्तर-1) के समूह-‘ग’, अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, परिचर-ए, भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर**, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

अथवा

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन हो या चयन न हो पद।
1	2	3	4	5
परिचर-ए	178* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर।	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000 – 56900)	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्षों तक छूट दी जा सकती है)। नोट-1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या	मैट्रिक/एस.एस.एल.सी./एस.एस.सी. या समकक्ष पास	लागू नहीं है।

लक्षद्वीप में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)। नोट-2: उन पदों के संबंध में, जिनके लिए रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं, के प्रत्येक मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि वह अंतिम तिथि होगी, जिस तिथि तक रोजगार कार्यालय (यों) से नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।		
--	--	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
दो वर्ष	सीधी भर्ती/अनुकंपा नियुक्ति द्वारा नोट-1: अनुकंपा नियुक्तियों को भारत सरकार/अंतरिक्ष विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। नोट-2: अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत नियुक्त एम.टी.एस. और एम.टी.एस. के पद पर भविष्य में सीधे भर्ती होने वाले कर्मचारियों की वृत्ति प्रगति एम.ए.सी.पी.एस. के लागू प्रावधानों के अनुसार होगी।

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ग', विभागीय चयन/स्थायीकरण समिति में निम्नलिखित शामिल हैंः 1 वरि. प्रधान / प्रधान, का. एवं सा.प्र. : अध्यक्ष 2 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 3 वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./अ.ज.जा./महिला : सदस्य / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Non-Gazetted post of Attendant-A (Level-1) in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Indian Space Research Organization, Attendant-A Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these

rules.

3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** -The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Attendant-A	178* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-1 (Rs. 18000-56900) in the Pay Matrix	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Between 18 to 25 years for General (Unreserved) Candidates (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note-1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UT of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Matriculation /SSLC /SSC or equivalent pass	Not Applicable

Note-2: In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange(s), the crucial date for determining the age-limit shall, in each case be the last date upto which the Employment Exchange(s) are asked to submit the names.		
Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	
9	10	
Two years	By direct recruitment / Compassionate appointment Note-1: Compassionate appointments shall be regulated as per extant orders passed by Government of India /Department of Space from time to time. Note-2: The career progression of MTS appointed under compassionate appointment Scheme and future direct recruits to the post of MTS, will be as per the applicable provisions of MACPS.	

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	Group 'C', Departmental Selection/Confirmation Committee consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Mandatory Representatives (SC/ST : Member / Women / PWD / Minority)	Not Applicable

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 45.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में परिचर-बी (स्तर-2) के समूह-ग, अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, परिचर-बी, भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि- उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. अपात्रता- कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

अथवा

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

वशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. छूट देने का अधिकार- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. व्यावृत्ति- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
परिचर-बी	127* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर।	सामान्य केंद्रीय सेवाएँ, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200)	गैर-चयन

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न
--------------------	---

यदि कोई।	तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
(क) पदोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में परिचर-ए, पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा। नोट-1: विभिन्न पदनामों में सभी तत्कालीन समूह-घ कर्मचारियों को कर्मचारियों के वर्तमान स्तर के सदृश स्तर-1, 2, 3 एवं 4 में परिचर/ परिचरों के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। नोट-2: स्तर-1, स्तर-2 एवं स्तर-4 में मौजूदा परिचर/परिचरों को क्रमशः परिचर-ए, परिचर-बी एवं वरिष्ठ परिचर-बी के रूप में पुनः पदनामित किया गया है। नोट 3: जहाँ ऐसे कनिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं, वहाँ उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हता या पात्रता सेवा की अवधि, ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा की आधी अवधि या दो (2) वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है। पिछले मामलों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है। (ख) प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह-ग के कर्मचारी : क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित	समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं: 1 वरि. प्रधान / प्रधान, का. एवं : अध्यक्ष सा.प्र. 2 वरि. लेखा अधिकारी/आं.वि.स. : सदस्य 3 वरि. क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/ दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी या ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर तीन वर्ष की नियमित सेवा हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर पदधारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट -3: प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		
---	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Attendant-B (Level-2) in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Indian Space Research Organization, Attendant-B Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Attendant-‘B’	127* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group ‘C’ (Non-Gazetted)	Level-2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Not Applicable	By promotion (100% Seniority), failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
(a) By promotion: Attendant-A in Level-1 in the Pay Matrix, with 3 years of regular service in the post. Note-1: All erstwhile Group-D employees in various designation will be re-designated as Attendant(s) in Level-1, 2, 3 and 4 corresponding to the present level of the employees. Note-2: The existing Attendant(s) in Level-1, Level-2 and Level-4 is re-	Group ‘C’, Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of- 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Mandatory Representatives : Member (SC/ST/Women/PWD/Minority)	Not Applicable

designated as Attendant-A, Attendant-B and Senior Attendant-B respectively.

Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two (2) years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Past cases need not be reopened.

(b) Deputation:

Officials from Central Services Group-C under the Central Government:

a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or

b) with three years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-1 in the pay matrix.

Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time.

Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 46.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ परिचर-ए (स्तर-3) के समूह-‘ग’, अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ परिचर-ए, भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि**— उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
5. **अपात्रता**— कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

अथवा

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

6. **छूट देने का अधिकार**— जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
7. **व्यावृत्ति**— इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन हो या चयन न हो पद।
1	2	3	4	5
वरिष्ठ परिचर-ए	63* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर।	सामान्य केंद्रीय सेवाएँ, समूह ‘ग’ (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु.21700-69100)	गैर-चयन

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।	
9	10	
लागू नहीं	पदोन्नति (100% वरिष्ठता) द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।	

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेसन, किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
(क) पदोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में परिचर-बी, पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा। नोट-1: विभिन्न पदनामों में सभी तत्कालीन समूह-घ कर्मचारियों को कर्मचारियों के वर्तमान स्तर के सदृश स्तर-1, 2, 3 एवं 4 में परिचर/परिचरों के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। नोट-2: 01.07.2025 को न्यूनतम 3 वर्षों की सेवाकालीन अवधि के साथ स्तर-2 में मौजूदा पदधारियों को तत्काल क्रियान्वयन हेतु वरिष्ठ परिचर-ए (स्तर-3) के लिए समीक्षा पर विचार किया जाएगा। (ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह-ग के कर्मचारी:</u> ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या बी) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की गई हो।	समूह 'ग', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें शामिल हैं: - वरि. प्रधान / प्रधान, का. : अध्यक्ष एवं सा.प्र. - वरि.लेखा : सदस्य अधिकारी/आं.वि.स. - वरिष्ठ क्रय एवं भंडार : सदस्य अधिकारी - अनिवार्य प्रतिनिधि : सदस्य (अ.जा./अ.ज.जा./महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक)	लागू नहीं

नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के चयन में समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।		
--	--	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Gazetted post of Senior Attendant-A (Level-3) in the Indian Space Research Organisation, namely:

- Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Indian Space Research Organization, Senior Attendant-A Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;
OR
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post

1	2	3	4	5
Senior Attendant-A	63* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted)	Level-3 (Rs.21700-69100) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Not Applicable	By promotion (100% Seniority), failing which Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
(a) By promotion: Attendant-B in Level-2 in the Pay Matrix, with 3 years of regular service in the post. Note-1: All erstwhile Group-D employees in various designation will be re-designated as Attendant(s) in Level-1, 2, 3 and 4 corresponding to the present level of the employees. Note-2: Existing incumbents in Level-2 with minimum residency of 3 years as on 01.07.2025 Review will be considered for Sr. Attendant-A (Level-3) for immediate implementation. (b) Deputation: <u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with three years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular basis in Level-2 in the	Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer/IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Mandatory Representatives(SC/ST/Women/ PWD/Minority) : Member	Not Applicable

pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.

बेंगलूरु, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 47.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वरिष्ठ परिचर-बी (स्तर-4) के समूह-‘ग’, अराजपत्रित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नवत नियम बनाते हैं:

- लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन नियमों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वरिष्ठ परिचर-बी, भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोज्यता** – ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।**
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि-** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- अपात्रता-** कोई भी ऐसा व्यक्ति, -
क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

अथवा

ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

- छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यावहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी

भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए मुहैया कराए जाने हेतु आवश्यक आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य छूटों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयनित या गैर-चयनित पद है
1	2	3	4	5
वरिष्ठ परिचर-‘बी’	67* *(2025) कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर।	सामान्य केंद्रीय सेवाएं, समूह ‘ग’ (अराजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)	गैर-चयन

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिीक्षा की अवधि, यदि कोई।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।
9	10
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा (100% वरिष्ठता), अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /आमेलन, किन श्रेणियों द्वारा की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना कैसी है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
(क) पदोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 पर वरिष्ठ परिचर-ए, पद में 5 वर्षों की नियमित सेवा। नोट-1: विभिन्न पदनामों पर सभी	समूह ‘ग’, विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए), में शामिल हैं: 1 वरि. प्रधान / प्रधान, : अध्यक्ष का. एवं सा.प्र. 2 वरि. लेखा अधिकारी/ : सदस्य	लागू नहीं

तत्कालीन समूह-घ कर्मचारी/कर्मचारियों का वर्तमान स्तर के सदृश स्तर-1, 2, 3 एवं 4 में परिचर/परिचरों के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। नोट-2: वरिष्ठ परिचर-ए (स्तर-3) में 1 वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ परिचर-बी (स्तर-2) एवं वरिष्ठ परिचार-ए (स्तर-3) में 6 वर्षों की संयुक्त सेवा पर वरिष्ठ परिचर-बी (स्तर-4) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। नोट-3: स्तर-1, स्तर-2 एवं स्तर-4 में मौजूदा परिचरों को क्रमशः परिचर-ए, परिचर-बी एवं वरिष्ठ परिचर-बी के रूप में पुनः पदनामित किया गया है। (ख) प्रतिनियुक्ति: <u>केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह-ग के कर्मचारी:</u> (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित कर्मचारी; या (ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 पर नियमित आधार पर समकक्ष संवर्ग में पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की गई हो। नोट-1: प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों का चयन समय-समय पर अं.वि./इसरो में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का मूल्यांकन शामिल होगा। नोट-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट-3: प्रतिनियुक्ति की अवधि: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी और इसे उचित प्रक्रिया के साथ 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।	आं.वि.स. 3 वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी : सदस्य 4 अनिवार्य प्रतिनिधि (अ.जा./ अ.ज.जा. / महिला / दिव्यांग / अल्पसंख्यक) : सदस्य	
---	---	--

[फा. सं. ए.26011/1/2025-I]

श्रीमती एस.आर. राजशेखर, संयुक्त सचिव

Bangalore, the 29th December, 2025

G.S.R. 47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Non-Gazetted post of Senior Attendant-B (Level-4) in the Indian Space Research Organisation, namely:

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Indian Space Research Organization, Senior Attendant-B Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application** – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living;

OR

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether Selection or non-selection Post
1	2	3	4	5
Senior Attendant-‘B’	67* *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group ‘C’ (Non-Gazetted)	Level-4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix	Non-Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	
9	10	
Not Applicable	By promotion (100% Seniority), failing which Deputation.	
In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
(a) By promotion: Senior Attendant-A in Level-3 in the Pay Matrix, with 5 years of regular service in the post. Note-1: All erstwhile Group-D employees in various designation will be re-designated as Attendant(s) in Level-1, 2, 3 and 4 corresponding to the present level of the employees. Note-2: Combined service of 6 years in Attendant-B (Level-2) and Senior Attendant-A (Level-3) with minimum service of 1 year in Senior Attendant-A (Level-3) will be considered for promotion to the post of Senior Attendant-B (Level-4). Note-3: The existing Attendant(s) in Level-1, Level-2 and Level-4 is re-designated as Attendant-A, Attendant-B and Senior Attendant-B respectively. (b) Deputation: <u>Officials from Central Services Group-C under the Central Government:</u> a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or b) with five years of regular service rendered after appointment to the post in the equivalent cadre on regular	Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of : 1 Sr. Head/Head, P&GA : Chairperson 2 Sr. Accounts Officer / IFA : Member 3 Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Mandatory Representatives(SC/ST/Women / PWD / Minority) : Member	Not Applicable

basis in Level-3 in the pay matrix. Note-1: The selection of officials on deputation shall involve evaluation of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the DOS/ISRO from time to time. Note-2: Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note-3: Tenure of Deputation: The period of deputation shall be 3 years and can be extended for 2 more years with due procedure.		
--	--	--

[F. No. A.26011/1/2025-I]

Smt. S. R. RAJASHEKAR, Jt. Secy.